मिसल नम्बर 74/2019
निर्णय दिनांक 03–10–2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :– [redacted]/2019
74

सरकार

बनाम

1. बाबूलाल
2. विश्वम्भर
   पुत्रान कालूराम जाति गूर्जर निवासी खरखड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान

....................गैर सायलान्

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 03–10–2019

–: <u>निर्णय</u> :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान् को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल बाबूलाल स्वयं हाजिर। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का **खरखड़ा** के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **खरखड़ा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 2.66 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.20 हेक्टेयर पर बाजरा काश्त, रकबा 2.46 हेक्टेयर पर छड़ी–बाड़ करके व खसरा नम्बर 103 रकबा 0.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.20 हेक्टेयर पर बाजरा काश्त, रकबा 0.26 हेक्टेयर पर छड़ी–बाड़ करके गैर सायलान् ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायलान् के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमियों के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायलान् की ओर से गैर सायल बाबूलाल ने जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि ग्राम खरखड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 2.66 हेक्टेयर व 103 रकबा 0.46 हेक्टेयर भूमि में बाजरे की फसल काश्त कर रखी है एवं छड़ी–बाड़ लगा रखी है। जिस पर प्रार्थी का करीब 50–60 साल से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसको काबिल काश्त करने के लिये प्रार्थी ने उक्त भूमि में से कंकर पत्थर आदि निकालकर व खाद आदि डालकर काबिल काश्त बनाया है जिस पर प्रार्थी का काफी खर्चा लगा है। प्रार्थी एक काश्तकार पेशा व्यक्ति है। काश्त के लिये उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। प्रार्थी उक्त भूमि को अपने नाम नियमन करवाना चाहता है।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज)

Scanned by CamScanner

मिसल नम्बर 74/2019
निर्णय दिनांक 03-10-2019

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि की बाबत नियमन की सिफारिश किये जाने की कृपा करें।

गैर सायल को सुना गया। गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का **खरखड़ा** की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायलान् ने राजस्व ग्राम **खरखड़ा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 2.66 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.20 हेक्टेयर पर बाजरा काश्त, रकबा 2.46 हेक्टेयर पर छड़ी-बाड़ करके व खसरा नम्बर 103 रकबा 0.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.20 हेक्टेयर पर बाजरा काश्त, रकबा 0.26 हेक्टेयर पर छड़ी-बाड़ करके अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का खरखड़ा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-: आदेश :-

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खरखड़ा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायलान् को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **खरखड़ा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 2.66 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 2.66 हेक्टेयर से व खसरा नम्बर 103 रकबा 0.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.46 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायलान् से शरह लगान 02 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का व **फसल बाजरा को राजहक में जप्त कर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है।** तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **खरखड़ा** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायलान् की राजस्व ग्राम **खरखड़ा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 2.66 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 2.66 हेक्टेयर से व खसरा नम्बर 103 रकबा 0.46 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.46 हेक्टेयर पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03-10-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज)

तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner